न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

रामधनी बनाम त्रिलोकचन्द वगै0, सरकार

किस्म मुकदमा:– रेस्टो0 / कोटा मिसल नं0 2024 / 275

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
05 / 11 / 2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील पेश कर कथन किया कि उक्त अपील में गत तारीख पेशी 21.10.2024 नियत थी। उक्त अपील में पेशी दिनांक 21.10.2024 को इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाये थे कि प्रार्थीया के अधिवक्ता के नौजवान दामाद काफी गम्भीर बीमारी से गम्भीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे जिनकी मृत्यु भी हो गई। इस कारण प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाये और पक्षकार को प्रार्थीया द्वारा तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाये और पक्षकार को प्रार्थीया द्वारा उपस्थित आने हेतु मना कर रखा था। इस कारण उक्त अपील दिनांक को अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। उक्त अपील में अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के अधिवक्ता जान बूझकर गैर हाजिर नहीं रहे जो गलती हुई वह उचित व बोनाफाईड है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर नियमानुसार सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 21.10.2024 को अदम हाजरी में खारिज फरमा दी गयी है। जिसके बाद दिनांक 28.10.2024 को अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया है। हमारे मत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मुरलीधर प्रतिहार) राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	